रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 1979/आषाढ़ 11, 1901
No. 271] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 1979/ASADHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1979

का. आ. 381 (अ)/18एफ बी/आईडीआरए/79.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 519(अ)/18एफबी/आईडीआरए/77, तारीख 4 जुलाई, 1977 द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किन्हीं संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्था-पत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों पर या अन्य लिखतों (बैंक आफ इंडिया नकद और उधार लेखा के दायित्वों से भिन्न और जिस विस्तार तक चालू आस्तियों के अंतर्गत आते हैं) का प्रवर्तन, जिनका मैसर्स वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित

रहेगा तथा उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रादुर्भूत और उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक के लिए निलंबित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 3 जुलाई, 1979 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है बढ़ा दी गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 3 जुलाई 1980 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, बढ़ाती है ।

[फा. संख्या 3(18)/75-सी.यू.सी.]
आर. एन. चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1979

S.O. 381(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 519(E)/18FB/IDRA/77, dated the 4th July, 1977 (hereinafter referred to as the said Order, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the Bank of India cash and credit account and to the extent that these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs Western India Spinning and Manufacturing Company Limited, Bombay is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 3rd July, 1979;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of 3rd July, 1980.

[F. No. 3(18)/75-CUS]
R. N. CHOPRA, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110045 1979